

नम्बर व तारीख
अभिकार्य की दृष्टि
रूप में की कार्यवाही
में जारी है।

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज लाट्टलाल vs शरीशंकर	
10/2/25	पत्रावली पेश हुई / वादी आदि (अपि) आदि 390 पत्रावली सादर की हेतु दिनांक 5/3/25 को पेश की	
5/3/25	पत्रावली पेश हुई / वादी-पतिवादी आदि. उप. / वादी आदिवादी की सादरवादी जलुत कारे हेतु न्यायाधीश में आदिम अवसा दिनांक 5/3/25 को पत्रावली वादते सादरवादी हेतु दिनांक 20/3/25 को पेश की	
20/3/25	पत्रावली पेश हुई / वादी-पतिवादी आदि. उप. / वादी आदिम अनुपस्थित / वादी सादर कर पेश करि हेतु पर्यपित अवसा दिनांक के बावजूद की पेश नहीं / वादी की सादर जलुत कारे हेतु 100 रु का प्रब अवसा दिनांक का पत्रावली वादते वादी सादर हेतु दिनांक 9/4/25 को पेश की	
9/4/25	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली सादर आदेश दिनांक 25/4/25 को पेश हो।	आदेश से रीडर
23/4/25	पत्रावली पेश हुई। आज स्थानिक वाद एसीसियेशन में पेश करत किया हुआ है। पत्रावली में अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली सादर आदेश दिनांक 24/4/25 को पेश हो।	आदेश से रीडर
24/4/25	पत्रावली पेश हुई / वादी एवं वादी आदि. अनु. / वादी एवं वादी आदिवादी की निपमानुसार तीन बार आवाज लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। न्यायाधीश में पुनः एक बार आवाज लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। वादी द्वारा जलुत वाद अन्तर्गत आर 88, 89, 188 राजमान काठकारी आदि निपत्रम की मदम (एवम्) मदम को की में स्वार्थ किता बाला है। निर्णय करे इवलास जुनाजा गया। — लगातार —	आदेश से रीडर

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. लदुलाल पिता रामकरण अचारज निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. नन्दु बेवा रामकरण अचारज निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. रवि शंकर पिता इन्द्रमल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. कमला देवी पत्नी श्याम लाल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. गणपत लाल पिता इन्द्रमल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 262/2006 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 24.04.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी /अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा